

डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 13/2022-23 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
Airports Economic Regulatory Authority of India

डेलही कार्गो सर्विस सेन्टर प्राइवेट लिमिटेड (डीसीएससी) द्वारा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा(आईजीआईए), दिल्ली में प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26) के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में/

IN THE MATTER OF
DETERMINATION OF TARIFF FOR CARGO HANDLING SERVICES FOR
DELHI CARGO SERVICE CENTER PVT. LTD. (DCSC) AT INDIRA GANDHI
INTERNATIONAL AIRPORT (IGIA), DELHI
FOR THE THIRD CONTROL PERIOD
(FY 2021-22 TO FY 2025-26)

जारी करने की तारीख : 25 नवम्बर, 2022/

Date of Issue: 25 November, 2022

ऐरा भवन/AERA Building
प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स/Administrative Complex
सफदरजंग हवाईअड्डा/Safdarjung Airport
नई दिल्ली/New Delhi – 110003

हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण को ज्ञात है कि विमानन क्षेत्र पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी फैलने के कारण अत्यधिक अस्त-व्यस्त हो गया था और अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस महामारी के परिणामस्वरूप अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई यात्राओं पर रोक लग गई थी। अब कोविड के मामलों में कमी आने और हवाई यात्रा संबंधी प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद (28.03.2022 से) विमान यातायात में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है।

इस पृष्ठभूमि में प्राधिकरण ने डेल्टा कार्गो सर्विस सेन्टर (डीसीएससी) द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) में दिए गए विभिन्न अनुमानों, विशेष रूप से अनुमोदित हवाई भाड़ा स्टेशन (एएफएस) से यूएलडीएस/बीयूपीएस के रूप में प्राप्त किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्गो की मात्रा, कार्गो मात्रा सहित, के अनुमान के आधार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव की जांच करने के बाद यह परामर्श पत्र जारी किया है। तदनुसार टैरिफ निर्धारण की प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण के प्रस्ताव इस परामर्श पत्र में प्रत्येक अध्याय में विस्तार से स्पष्ट किए गए हैं।

अतः भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 25.11.2022 के परामर्श पत्र संख्या 13/2022-23 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां अधिमानतः इलैक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)

ऐरा प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,

नई दिल्ली-110003, भारत

ई-मेल : satish.kr@aera.gov.in और vikas.rao@nic.in

प्रतिलिपि : director-ps@aera.gov.in और secretary@aera.gov.in

हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	14.12.2022
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	22.12.2022

टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

अध्याय 9 : प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के एमवाईटीपी पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद हितधारकों के परामर्श के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव करता है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय 2	2.2.1	चूंकि डीसीएससी द्वारा आईजीआईए, दिल्ली में प्रदान की जाने वाली कार्गो हैंडलिंग सेवा 'मटीरियल किंतु प्रतिस्पर्धी' है, इसलिए तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए 'प्लाइ टच अप्रोच' आधार पर टैरिफ निर्धारित करने का प्रस्ताव है।	9
अध्याय 3	3.3.1	तालिका 5 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आईजीआईए दिल्ली में डीसीएससी के लिए अनुमापी कार्गो मात्रा को मानना।	15
अध्याय 4	4.6.1	तालिका 12 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए आरएबी (कैपेक्स), मूल्यहास और औसत आरएबी के परिवर्धनों को मानना।	29
	4.6.2	तालिका 13 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए सुरक्षा जमा और सुरक्षा जमा पर प्रतिलाभ को मानना।	
अध्याय 5	5.3.1	तालिका 16 में बताए अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय को मानना।	35
अध्याय 6	6.5.1	प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध सामग्री और उसके विश्लेषण के आधार पर प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एएफएस कार्गो से भिन्न कार्गो के लिए लागू सामान्य अनुमोदित टीएसपी प्रभारों की तुलना में एएफएस कार्गो, नष्ट होने योग्य/औषधीय/विशेष/मूल्यवान/खतरनाक कार्गो, आदि सहित, के लिए 30% न्यूनतर टीएसपी प्रभारों का प्रस्ताव करता है।	41
अध्याय 7	7.3.1	तालिका 19 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर को मानना।	46
	7.3.2	तालिका 22 के अनुसार 31.03.2025 तक मौजूदा टैरिफ में वृद्धि/कमी को मानना।	
	7.3.3	वित्त वर्ष 2024-25 तक तृतीय नियंत्रण अवधि की एससीएस की समीक्षा के आधार पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एटीपी को मानना	
अध्याय 8	8.3.1	डीसीएससी के लिए तालिका 24 के अनुसार तृतीय नियंत्रण अवधि के संबंध में राजस्व, ओपेक्स और लाभप्रदता को मानना।	49

अध्याय 10 हितधारक परामर्श के लिए समय – सीमा

- 10.1** ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अध्याय 9 में निहित प्रस्ताव एतद्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत हैं। हितधारकों की सार्थक और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुति करने में उनकी सहायता करने के लिए परामर्श पत्र में आवश्यक संलग्नक (संलग्नक-I से V) लगाए गए हैं।
- 10.2** संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का इस प्राधिकरण के किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।
- 10.3** प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 9 में दिए गए विभिन्न प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक **14.12.2022** तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)